मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एल-1/1/98/ब-7/चार, भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर, 1998

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

बजट में प्रावधानित राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता से पहले ही करने के कुछ प्रकरण वित्त विभाग की जानकारी में आये हैं। आहरित राशि का तत्काल उपयोग न होने के कारण उसे स्थानीय निकायों अथवा सार्वजनिक उपक्रम के खातों में जमा किया गया है। स्थानीय निकाय एवं सार्वजनिक उपक्रम को राशि, उनके द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं पर अपेक्षित व्यय एवं वास्तविक वित्तीय आवश्यकता को देखते हुए ही दी जानी चाहिये। ऐसी आवश्यकता के पहले शासन के कोष से राशि का आहरण करना नियमों के विरुद्ध है तथा इसके लिए समय-समय पर निर्देश भी जारी किये गये हैं। भविष्य में यदि किसी आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अग्रिम राशि आहरण का प्रकरण देखने में आता है तब संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी से राशि वसूल की जायेगी।

हस्ता/-
(स्नेहलता श्रीवास्तव)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग,

पृक्र. एल-1/1/98/ब-7/चार भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर, 1998

प्रतिलिपि :—

समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा कोषालय से राशि आहरित करने वाले समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सूचित करने हेतु।

हस्ता/-
(टी.एल.साहू)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग